न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 21/2018

अनवान : —

1. संदीप पुत्र जगरूपसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नवदीपकौर पत्नी जगररूपसिंह कौम जटसिख निवासी बशीर हाल शेरगढ त0 डबवाली जिला सिरसा हरि0।
2. खुशकरनजोत कौर जगरूपसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नवदीपकौर पत्नी जगररूपसिंह कौम जटसिख निवासी बशीर हाल शेरगढ त0 डबवाली जिला सिरसा हरि0।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. जगरूपसिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बशीर हाल शेरगढ त0 डबवाली सिरसा।
2. तहसीलदार एव उपंजीयक राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
श्री. सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अंकित सिडाना अधिवक्ता अप्रार्थीगण

20/5/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता, अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 117/99 में कुल 7.337 है0 में 1.834 है0 में से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 118/96 में कुल 2.530 है0 में .632 है0 में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 34/25 में कुल 4.934 है0 में से .696 है0 में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 119/97 में 5.060 है0 में 1.264 है0 मे से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 120/98 में 506 है0 मे से 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है । उक्त भूमि पीढी दर पीढी विरास्तन चली आ रही है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थीसं० 1 के नाम की चकनं0 10 एफटीपी के खाता सं0 117/ 99 में कुल 7.337 है0 में 1.834 है0 में से 1/2 हिस्सा में प्रार्थीगण का 0.611 है० व इसी चक के खाता सं0 118/96 में कुल 2.530 है0 में .632 है0 में से 1/3 हिस्सा में 0.140 है0 व इसी चक के खाता सं0 34 / 25 में कुल 4.934 है0 में से .696 है0 में से 1/3 हिस्सा मे से 0.154 है0 व इसी चक के खाता सं0 119 /97 में 5.060 है0 में 1.264 है० मे से 1 / 3 हिस्सा मे से 0.280 है० व इसी चक के खाता सं0 120/ 98 में 506 है0 में से 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा मे से प्रार्थीगण का 0.112 है० का ब०हि०ब० का हक व हिस्सा बनता है। लेकिन उक्त समस्त आराजी अप्रार्थीसं० 1 के नाम से दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है व प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते है । इसलिए प्रार्थीगण घोषणा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रार्थीगण दफा हाजा के अनुसार अपनी आराजी के ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 10 एफटीपी

के खाता सं0 117/99, 118/96, 34/25, 119/97 तथा खाता सं0 120/93 में से अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा कम करवाने के अधिकारी व दावेदार है । अप्रार्थी सं0 1 नशे व गलत संगती का आदि है व प्रार्थीगण की माता के साथ गाली गलौच व मारपीट करता रहता है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है तथा प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज भूमि अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को औने पौने दामों में विक्रय करने पर आमादा है तथा ऐलानियॉ धमकियॉं दे रहा है कि वह आज कल में ही प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि को विक्रय कर उक्त कृषि भूमि का कब्जा असामाजिक तत्वों को सौंप देवेगा जिसकी उसने गॉव के ही एक व्यक्ति से बात भी कर ली है, अगर अप्रार्थीगण सं0 1 अपने इस गलत व विधि विरूद्व मक्सद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को नाहक ही मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा व प्रार्थीगण भूमि हीन हो जावेगे तथा प्रार्थीगण के पास आय का कोई स्त्रोत नही रहेगा, जिससे प्रार्थीगण के भविष्य पर कालिख छा जावेगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण सं० 1 इस आशय की जारी किया जावे कि संयुक्त खाता की भूमि में अप्रार्थीसं० 1 नाम से दर्ज चकनं० 10 एफटीपी के खाता सं0 117/ 99 में कुल 7.337 है0 में 1.834 है0 में से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 118/96 में कुल 2.530 है0 में .632 है0 में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 34/ 25 में कुल 4.934 है0 में से .696 है0 में से 1 /3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 119/ 97 में 5.060 है0 में 1.264 है0 मे से 1/ 3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 120/ 98 में .506 है0 मे से 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **नवदीप कौर** पत्नी जगरूपसिंह को हस्तगत प्रार्थन करने की विधिक अधिकारिता नही है। पिता के जीवनकाल में जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा नाबालिगान का सरंक्षक घोषित नही कर दिया जाता तब तक नवदीप कौर को यह आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की विधिक अधिकारिता नही है । कब्जा के अनुतोष के अभाव में घोषणा का प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होता। हस्तगत प्रार्थनापत्र में कब्जा के बाबत् कोई अनुतोष याचित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या – 1 के हिस्सा की कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया के पक्ष में रहन चली आ रही है लेकिन हस्तगत प्रार्थनापत्र में बैंक को पक्षकार प्रकरण नही बनाया गया है जिसके अभाव में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अस्पष्ट एवं अपूर्ण होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण को

वादपत्र में सफल होने की कोई आशा नही है । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या –2 जिसे 3 अंकित किया गया है, पूर्ण रूप से अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। प्रार्थीगण ने इस चरण संख्या में मात्र चक नम्बर, खाता नम्बर के कुल योग का वर्णन एवं हिस्सा अंकित कर कृषि भूमि के पत्थर नम्बर, मुरब्बा नम्बर, किला नम्बर छिपाये हैं। कृषि भूमि के पूर्ण विवरण के अभाव में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने इस चरण संख्या में अप्रार्थी कुल हिस्सा के बाबत् कोई विवरण अंकित नही किया है। पूर्ण विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किये जा रहे हैं । प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 3 में वर्णित यह अभिकथन कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या –2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है, कतई गलत एवं निराधार है, प्रश्नगत कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 के जीवनकाल में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण का यह अभिकथन कि उक्त चकूकों के उक्त खातों में प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर के हकदार हैं, कतई गलत एवं निराधार है। प्रार्थीगण का यह अभिकथन कि प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या – 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रहने से प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होता है, कतई गलत एंव निराधार है। प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या – 1 किसी भी प्रकार की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं । प्रार्थीगण की माता ने अन्य लोगों के बहकावे में आकर प्रार्थीगण की ओर से मिथ्या आधारों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी संख्या – 1 परिवार का कर्ता है इसलिए उक्त कृषि भूमि के समस्त अधिकार कर्ता में निहित हैं । पूर्ण विवरण अतिरिक्त आपत्तियों में अंकित किये जा रहे हैं 1 यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 4 में वर्णित यह अभिकथन कि अप्रार्थी संख्या – 1 नशे व गलत संगत का आदि है एवं साथ ही यह अभिकथन किं अप्रार्थी संख्या – 1 प्रार्थीगण की माता के साथ गाली गलौच व मारपीट करता रहता है, कतई गलत एवं निराधार है। प्रार्थीगण का यह अभिकथन कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है, कतई गलत एवं निराधार है। प्रार्थीगण का यह अभिकथन कि अप्रार्थी संख्या – 1 प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि को औने–पौने दामों में विक्रय करने को आमादा है, कतई गलत एवं निराधार है। प्रार्थीगण का यह अभिकथन कि अप्रार्थी संख्या–1 ने गांव के असामाजिक तत्वों से कृषि भूमि विक्रय की बात कर ली है, कतई गलत एवं निराधार है। प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। प्रार्थीगण की माता जिद्दी स्वभाव की औरत है एवं वह सदैव अप्रार्थी संख्या – 1 से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। प्रार्थीगण की माता ने अपने पीहर के बहकावे में आकर मिथ्या आधारों पर हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रर्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में याचित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं । तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या – 113/ 99 प0न0 198/238 (4) कि०न० 16, 17, 24, 25 प्रत्येक सालम, प0न0 199/ 239 (7) कि0न0 1 से 4, 9, 10 प्रत्येक सालम, प0न0 198/ 239 (8) कि0न0 4 से 7, 12, 13, 14, 18 से 22 प्रत्येक सालम, प0न0 197/ 239 (9) कि0न0 16, 17, 24, 25 प्रत्येक सालम,

प0न0 197/ 240 (14) कि0न0 4, 5, प्रत्येक सालम, प0न0 201/240 (18) कि0न0 1 सालम, इस खाता की कुल तादादी 7.337 है0 में से अप्रार्थी संख्या – 1 का 0.917 है0 कृषि भूमि का हक व हिस्सा है तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 10 एफ. टी. पी. जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या – 118/ 96 प0न0 198/ 245 (50) कि0न0 20 से 23 प्रत्येक सालम, प0न0 198/ 246 (57) कि0न0 1, 2, 3, 8, 9, 10 प्रत्येक सालम, इस खाता की कुल तादादी 2.530 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें अप्रार्थी संख्या – 1 का 0.210 है0 कृषि भूमि का हक व हिस्सा है। तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 10 एफ. टी. पी. जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या – 34 /25 प0न0 200/ 243 (34) कि0न0 1, 2, 3, 7 से 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक सालम, कि0न0 24/1 तादादी 0.127 है0, प0न0 200/ 244 (45) कि0न0 2, 9, 12, 19 प्रत्येक सालम, इस खाता की कुल तादादी 4.934 है0 में से अप्रार्थी संख्या–1 के हिस्सा की 0.232 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 10 एफ. टी. पी. जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या – 119/ 97 प0न0 200/241 (20) कि0न0 17 से 24 प्रत्येक सालम, प0न0 200/ 242 (31) कि0न0 1 से 7 से 14 प्रत्येक सालम, इस खाता की कुल तादादी 5.060 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 का 0.421 है0 कृषि भूमि का हक व हिस्सा है। तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या– 120 /98 प0न0 199 / 242 (30) कि0न0 25 सालम, प0न0 200 / 244 (45) कि0न0 23 सालम, इस खाता की कुल तादादी 0.506 है0 कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 का 0.042 है0 कृषि भूमि का हक व हिस्सा है। अतिरिक्त आपत्तियों की चरण संख्या – 1 ता 5 में वर्णित सभी चकूकों में अप्रार्थी संख्या–1 की 1.822 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी ने अपने हिस्सा की 1.822 है0 कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया के पक्ष में रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है एवं यह ऋण राशि प्रार्थीगण की माता श्रीमती नवदीप कौर को दी हुई है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा – 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय निरस्त फरमाया जावे। ।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई व अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में अपने हकों की घोषणा होने तक अप्रार्थी को भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए पाबंद करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर है। चूंकि प्रार्थीगण का अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88 आरटीए वाद न्यायालय में जैरकार है जिसमें साक्ष्य–सबूतों एवं तनकीयात के बाद गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण के पक्ष में बूखबी साबित है । यदि अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण के हक हिस्से घोषित होने से पूर्व खुर्द–बुर्द

किया जाता है तो प्रार्थीगण को नापूरा होने वाला नूकसान होने की पूरी–पूरी संभावना है। जिससे सुविधा का संतुलन बिन्दू व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थीगण के प्रक्ष में साबित है। उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के मूलभूत बिन्दू यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के अधिकारों को सुरक्षित रखना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय के साथ पाबंद किया जाता है कि वे अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज चकनं० 10 एफटीपी के खाता सं0 117/ 99 में कुल 7.337 है0 में 1.834 है0 में से 1/2 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 118/96 में कुल 2.530 है0 में .632 है0 में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 34/ 25 में कुल 4.934 है0 में से .696 है0 में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 119/ 97 में 5.060 है0 में 1.264 है0 मे से 1/ 3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 120/ 98 में .506 है0 मे से 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखें।

निर्णय आज दिनांक ....20/5/26....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़